माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक निगरानी-301/2019/गुना/भू.रा.

याचिकाकर्ता :- महेन्द्र सिंह पुत्र रूगना सिंह राजपूत,

निवासी-किला घाटी रोड राधौगढ़

जिला गुना म.प्र.

श्री मनीष शर्मा एड. द्वारा 26-2-19 को प्रस्तुत। ... तर्क हेतु दिनांक 7-3-19 नियत। कोर्ट 26-2-19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

प्रत्यर्थी :- म.प्र. राज्य

3/19 Noted Manish Sharma (Adv.)

धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता 1959 के अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 284/17-18/अपील में दिनांक 22.01.2019 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका इस आदेश द्वारा माननीय अपर आयुक्त ग्वालियर ने द्वितीय अपील में एस.डी.ओ. के प्रकरण क्रमांक 48/अपील 16-17 में अपील आदेश दिनांक 14.09.2017 की पुष्टि की है जिसके द्वारा तहसीलदार राधौगढ़ जिला गुना के प्रकरण क्रमांक 27अ 68/16-17 में दिये गये आदेश दिनांक 30.05.2017 की पुष्टि की थी। ज्ञातव्य है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार राधौगढ़ ने विवादित भूमि से याचिकाकर्ता को बेदखल करने का आदेश दिया है। साथ ही याचिकातकर्ता पर 50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं एस.डी.ओ. राधौगढ़ तथा तहसीलदार राधौगढ़ के उपरोक्त वर्णित आदेशों की

2019-March-2

ग्वालियर

-2-

सत्यापित प्रतिलिपि इस याचिका के साथ समग्र रूप से परिशिष्ट–1 संदर्भित करते हुये प्रस्तुत की जा रही है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त वर्णित पुनरीक्षण याचिका

③

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 301/2019/गुना/भू0रा0

महेन्द्र विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–5–2019	आवेदक अभिभाषक श्री मनीष शर्मा उपस्थित। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग के अंतिम आदेश दिनांक 22–1–2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में 7–3–19 को प्रस्तुत की। आवेदक अभिभाषक ने प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस करने का अनुरोध किया है। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है। (आर. के. जैन) सदस्य	